



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक-3649/12-1,

दिनांक: मसूरी, 30-4-2019।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में मरोरा-बनाली-कदूखाल मोटर मार्ग के किमी 03 से कुण्ड तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-8.125 किमी) के निर्माण हेतु 5.1415 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-
महोदय,

प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/21822/2017 एवं नोडल कार्यालय, देहरादून का ई०डी०एस० दिनांक 23-03-2019

उपरोक्त सन्दर्भित ई०डी०एस० के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सि० खण्ड -2, नई टिहरी द्वारा अपने पत्र सं० 429/पी०-सि०ख०-2/दि० 25-04-2019 (प्रति संलग्न) से विषयांकित वन भूमि के आनलाईन प्रस्ताव में नोडल कार्यालय द्वारा इंगित ई०डी०एस० आपत्तियों का निराकरण करते हुए आनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावक/ पी०एम०जी०एस०वाई०, सि० खण्ड -2, एवं प्रभाग स्तर से विषयांकित प्रकरण में उच्च स्तर से इंगित ई०डी०एस० आपत्तियों का विन्मुख निराकरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	Objection of Nodal office	आपत्तियों का निराकरण
1.	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online para-A-(iii) of Part-I]. It should give comprehensive details of the project in brief.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्र सं० 429/पी०-सि०ख०-2/दि० 25-04-2019 में उल्लेख किया है कि Short narrative of the project has been adequate information about the proposal [Online para-A-(iii) of Part-I]. It should give comprehensive details of the project in brief.
2.	Please provide village level committee(VLC) proceeding for each village separate with separate attendance sheet according to filled details B-2.3-village wise breakup along with FRA may also be provided and upload in Para K part I.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा village level committee(VLC) proceeding for each village separate with separate attendance sheet according to filled details B-2.3-village wise breakup along with FRA has been provided and upload in Para K part I.
3.	Generally the area proposed for CA is double the area proposed for diversion, and in this case it's should be 10.283 ha but it is mentioned 11.215 ha. In details provided in part I needs clarification and necessary correction.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वांछित 5.1415 है० वन भूमि के बदले दुगने 10.283 है० भूमि के सापेक्ष राजस्व विभाग द्वारा कुल 11.215 है० सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि It is now mentioned 10.283 ha. In area proposed for calculated for a CA.
4.	Land scheduled, Tree details, District profile is not uploaded as additional information in Form A, Part II.	मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत वांछित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल, प्रस्तावित संरक्षण में प्रभावित/वाधित होने वाले वृक्षों का विवरण एवं District profile को online Part II के para 13 additional information में यथास्थान अपलोड किया गया है, जिसकी हार्ड प्रति संलग्न है।
5.	NPV calculation detail is not in format in Form A, Part I and Part II.	NPV calculation detail को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रारूप में online Part I एवं प्रभाग स्तर से Part II के para 13 additional information में यथास्थान अपलोड किया गया है।
6.	District wise area to be diverted in the diversion is not filled at section 3 in Form A, Part II.	District wise area to be diverted in the diversion is filled at section 3 in online Part II में यथास्थान अपलोड किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न-उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशा नसीम)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 3649/124 दिनांकित।

प्रतिलिपि-अधिसासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0 खण्ड -2, नई टिहरी को उनके पत्र सं0 429/पी0-सिं0ख0-2/दि0 25-04.-2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

District Profile of Tehri Garhwal District As per on Feb 2018 (In Mussoorie Forest Division)										
S.No.	Name of District	Geographical Area of District (in ha)	Forest Area of District (in ha)	Total Forest Area of District (in ha)	No. of Approved Cases	CA Including penal C.A Stipulated(in ha)				Total CA Done (in ha)
						In Forest Land	In Non-Forest Land	In Forest Land	In Non-Forest Land	
1	Tehri	442100	405890	985.8533	97	236.9612	0	213.75	0	213.75

Part-II Column No. 5: Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : According to the working plan the proposed compartment have been selected for the forestry development word (if Forest land diversion).

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग मसूरी।



कार्यालय
अधिकासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई, सिंचाई-2
नई दिल्ली

Tele Phone No. :- 01176-232321
Fax No. :- 01176-232321
E-Mail ID :- eepmgstehri2@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक:- 429 / पीओ-सिंचाई-2 /

दिनांक-25/04/2019

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल जौनपुर विकासखण्ड में
मरोड़-बनाली मोटर मार्ग के किमी 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर ऑनलाईन
आपत्तियां लगाई गयी थी। जिनका निस्तारण कर आपको अग्रित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।
आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है-

S.No.	Curries	Decantation
1	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online Para-A-1(iii) of Part-I]. It should give comprehensive details of project in brief.	Short narrative of the project has given adequate information about the proposal [Online Para-A-1(iii) of Part-I]. It has given comprehensive details of project in brief.
2	Please provide village level committee (VLC) proceeding for each village separate with separate attendance sheet according to filled details B -2.3 - village wise breakup along with FRA may also be provide and upload in Para K part I.	Village level committee (VLC) proceeding for each village separate with separate attendance sheet according to filled details B -2.3 - village wise breakup along with FRA has been provided and uploaded in Para K part I.
3	Generally the area proposed for CA is double the area proposed for diversion, and in this case it's should be 10.2830 ha but it is mentioned 11.215 ha. In details provided in part I needs clarification and necessary correction	It is now mentioned 10.283 ha.in area proposed for CA.

अधिकासी अभियन्ता

पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड-2
नई दिल्ली

प्रारूप-43


परियोजना का नाम- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल, विकास खण्ड जीनपुर में मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 से कुण्ड (8.125 किमी०) के नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल जनपद टिहरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के किमी० 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग लम्बाई 8.125 के नव निर्माण हेतु सिविल आरक्षित वन, वन पंचायत जिसका क्षेत्रफल 5.1415 है० के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 10.283 है० अनवरत सिविल एवं सोयम भूमि कुण्ड ग्राम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

क्र० सं०	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण			अन्य विवरण
							खसरा न०	कुल रकबा है०	अर्जित रकबा है०	
1	टिहरी गढ़वाल		सकलाना	धनोली	कुण्ड	0014	1458	5.617	5.1600	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता हेतु है०
							1513	5.598	5.123	
						कुल	02	11.215	10.283	

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वांछित 5.1415 है० वन भूमि के बदले दुगने 10.283 है० के सापेक्ष राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुण्ड सिविल सोयम भूमि उपलब्ध करायी गयी हो जिसमें से 10.283 है सिविल सोयम भूमि को उक्तानुसार क्षतिपूरक हेतु लिया गया है।



अधिसासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०-2

नई टिहरी